राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
पत्रकार कालोनी के सामने, लिंक रोड नं. 03, भोपाल पिन कोड–462003

क्रमांक/एन.एच.एम./परिवार कल्याण/2021/445 **भोपाल, दिनांक 15/01/2021**

प्रति,

समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

समस्त, जिला स्वास्थ्य अधिकारी –2,
मध्यप्रदेश।

विषय :– परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निश्चित सेवा दिवस (एफ.डी.एस.) के सफल आयोजन के संबंध में दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में निश्चित सेवा दिवस (एफ.डी.एस.) का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है जिसमें कुछ समस्याऐ आ रही है जिसके संबंध में निर्देशित किया जाता है कि:–

1. प्रदेश के समस्त जिलो में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निश्चित सेवा दिवस (एफ.डी.एस.) के अंतर्गत नसबंदी सेवाऐं प्रदान की जा रही है। वर्तमान में परिवार नियोजन की नसबंदी सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगामी माह जनवरी एवं फरवरी तक निरंतर सेवाऐं प्रदान की जाना है। अतः जो सर्जन एल.टी.टी. ऑपरेशन कर रहे है, उन्हें यह कार्य प्राथमिकता पर करने हेतु निर्देशित किया जाये तथा यथासंभव अन्य दायित्वो से मुक्त किया जाये।
2. जिले मे सर्जन की कमी एवं वित्तीय वर्ष कि समाप्ति को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 2 माह तक प्रत्येक सर्जन से आवश्यकतानुसार 2 एफ.डी.एस. पूर्ण प्रोटोकाल एवं सारी व्यवस्थाओ को कराते हुए दो अलग–अलग संस्थाओ में आयोजित किया जा सकता है।
3. शहरी क्षेत्र जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं अन्य जिलो में यदि ज्यादा केसेस एक जगह नही आ रहे है तो उन समस्त केसेस को एक संस्था में बुलाकर एफ.डी.एस. किया जा सकता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में एफ.डी.एस. ज्यादा प्लान होते है और उसकी तुलना में केसेस कम हो रहे है।
4. ऐसे जिला चिकित्सालय जिनमें एक से अधिक ऑपरेशन थियेटर संचालित हैं, उनमें एक दिवस को दो सर्जन द्वारा अधिकतम 60 केसेस का ऑपरेशन किया जा सकता है परन्तु अनिवार्यतः हितग्राहियों के लिये आवश्यकत शैय्याओं, सामग्री व मानव संसाधन की व्यवस्था दो पृथक–पृथक वार्ड में की जाना होगी तथा कोविड–19 दो पृथक–पृथक वार्ड में की जाना होगी तथा कोविड–19 प्रोटोकाल का पालन किया जाना होगा।

5. कई सर्जनो के पास उपलब्ध लैप्रोस्कोप में कुछ न कुछ खराबी या समस्याऐं आ रही है जिसके लिये संबंधित क्षेत्रीय संचालक को अपने जिले में कार्यरत सर्जन के पास उपलब्ध लैप्रोस्कोप की खराबी की जानकारी तत्काल प्रदाय करें।
6. जिलो एवं विकासखण्ड में कार्यरत समस्त लेखा प्रबंधको को निर्देशित किया जाता है कि परिवार कल्याण के समस्त भुगतान हितग्राही,सर्जन,प्रेरक या अन्य सभी भुगतान अधिकतम एक सप्ताह में किया जाना सुनिश्चित करायें अन्यथा राज्य स्तर पर किसी प्रकार की शिकायत होने पर संबंधित डी.डी.ओ. के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
7. यदि सर्जन द्वारा लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता हो तो एनेस्थीसिया हेतु देय राशि का भुगतान सर्जन को किया जाये। यदि यह कार्य एनेस्थेटिस्ट द्वारा किया जाता है तो भुगतान एनेस्थेटिस्ट को किया जाये।
8. समस्त सर्जन को सुबह गाडी आवंटित कर दे ताकि वह प्रातः 09 बजे से नसबंदी केसेस करने के रवाना हो जाये और शाम 04 बजे तक अनिवार्य रुप से केसेस पूर्ण करायें।
9. सभी हितग्राहियों को ड्राप बैक हेतु वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाये। इसके लिये गतिविधि क्रमाक A.3.1.1 में उपलब्ध आवंटन का उपयोग किया जा सकता है।
10. परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित किसी भी मद में बजट आबंटन की आवश्यकता हो तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी–2 तत्काल उपसंचालक परिवार कल्याण से दूरभाष पर संपर्क करें।

आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी दो माह में निरंतर अपने जिले की सेवा आवश्यकता की पूर्ति के लिये प्रयास करें।

(छवि भारद्वाज)
मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम./परिवार कल्याण/2021/446 भोपाल, दिनांक 15/01/2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, म.प्र।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र।
3. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
5. समस्त आरएमएनसीएच ए सलाहकार, एन.एच.एम., म.प्र.।
6. समस्त जिला कार्यक्रम/लेखा प्रबंधक, एन.एच.एम., म.प्र.।

मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश